उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनॉक 12/11/2007 को बोर्ड मुख्यालय सभागार में सम्पन्न हुई आठवीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आठवीं बैठक दिनॉक 12/11/2007 को न्ह 11 बजे से बोर्ड मुख्यालय में सम्पन्न हुई। बोर्ड के अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। नलिखित सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया :

1. श्री सुब्रत बिश्वास, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री के0एल0 आर्या, अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. श्री विनोद पी0 रतूड़ी, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
4. श्री आर0 एन0 वर्मा, महाप्रबन्धक, पेयजल निगम, देहरादून।
5. श्रीमती उषा चौधरी, अध्यक्षा, नगर पालिका परिषद्, काशीपुर।
6. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंड्रस्टीज एसोसियेशन ऑफ उत्तरांचल।
7. श्री विजय कुमार, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यो का स्वागत किया गया, तथा सदस्यों द्वारा परिचय ा गया। तदोपरान्त बैठक की कार्य सूची के अनुसार निम्न निर्णय लियें गये।

र्य सूची ंख्या	प्रस्ताव	निर्णय
	बोर्ड की सातवीं बैठक दिनांक 6/7/2007 की अनुपालन आख्या	बिन्दु संख्या 7.2 के अंतर्गत डी0जी0 सैट मुद्दे पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस विषय में सम्बन्धित पत्रावली पर अध्यक्ष, बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त कर विधि सम्मत अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। बिन्दु संख्या 7.2 के अंतर्गत हरित श्रेणी के दोषी उद्योगों की इन्वेन्टरी बनाये जाने के सम्बन्ध में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि इस प्रकार के उद्योगों का विवरण प्रस्तुत कर आगामी बैठक में विस्तृत चर्चा हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाया जाय। बिन्दु संख्या 7.3 एवं 7.4 पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि आडिटिड बैंलेस शीट/रिपोर्ट को पूर्ण होने के उपरान्त आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय एवं वैबसाईट पर भी डाला जाय। बिन्दु संख्या 7.7 पर उद्योगों के श्रेणीबद्ध विभाजन हेतु गठित समिति में श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इंड्रस्टीज एसोसियेशन ऑफ उत्तरांचल जो उद्योग समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे को भी नामित किया गया। इस बिन्दु पर समिति द्वारा दो सप्ताह में अपनी अन्तिम

		बिन्दु संख्या 7.8 जल उपकर के सम्बन्ध में अभिमत व्यक्त किया गया कि बोर्ड में वर्तमान मैन पावर के दृष्टिगत विधिक प्राविधानों के अंतर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। बिन्दु संख्या 7.10.2 पर उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय। बिन्दु संख्या 7.11 जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहमति प्रकरणों से रोक हटाये जाने सम्बन्धित है के सम्बन्ध में इस केस में अभी तक हुयी प्रगति से बोर्ड अवगत हुआ। बिन्दु संख्या 7.12 जो बोर्ड मुख्यालय' क्षेत्रीय कार्यालय तथा आवासीय परिसर के लिए वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी तथा प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालय हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर हेतु भी कार्यालय, प्रयोगशाला एवं आवासीय परिसर आदि के लिए भूमि की उपलब्धता हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। बिन्दु संख्या 7.16.1 जो बोर्ड में कार्यरत तकनीकी तथा विधि सलाहकारों के कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में पृथक से पत्रावली अध्यक्ष बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। बिन्दु 7.16.3 जो वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन से सम्बन्धित है पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि बोर्ड के अधिकारियों को सम्बन्धित अधिनियमों की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नियमानुसार तकनीकी एवं वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधायन किया जाय। बिन्दु संख्या 7.16.6 जो आगामी बोर्ड बैठक में लिये जाने वाले मुद्दों से सम्बन्धित है पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित प्रस्तावों पर वांछित सलाह मशवरे के पश्चात आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये। बिन्दु संख्या 7.16.7 जो पत्रावलियों की अद्यतन स्थिति से सम्बन्धित पर बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया तथा कहा गया कि पत्रावलियों की तलाश जारी रखी जाय तथा पत्रावलियों के कस्टोडियन बनाने के सम्बन्ध में सुसंगत नीति बनाई जाय।
	विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा विज्ञापन को सीधे समाचार पत्रों/विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से प्रकाशित कराये जाने हेतु डी०ए०वी०पी० दरों पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा पूर्व में उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर दिये गये विज्ञापनों पर भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

8.3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशानुसार संशोधित करते हुए बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को शासन स्तर पर संदर्भित किया जाय।
8.4	लंबित सहमति प्रकरणों की अध्यावधिक स्थिति के संबंध में ।	बोर्ड द्वारा स्थिति का अवलोकन किया गया तथा कहा गया कि सहमति प्रकरणों के अस्वीकृत करने वाले समस्त मामलों (हरी, नारंगी एवं लाल श्रेणी) पर सदस्य सचिव के माध्यम से अध्यक्ष बोर्ड के स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाय। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित स्तरों पर लम्बित आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण किया जाय तथा विलम्ब के लिए सम्बन्धित की जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाय।
8.5	जी.बी. पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सेलाकुंई एवं दून घाटी क्षेत्र में स्थित फार्मा फार्मूलेशन इकाईयों के अध्ययन के सम्बन्ध में।	जी0बी0 पन्त विश्वविद्यालय की टीम द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया एवं अवगत कराया गया कि फाईनल रिपोर्ट शीघ्र ही आगामी 10–15 दिनों में प्रेषित की जायेगी। बोर्ड द्वारा चाहा गया कि इस विषय पर प्राप्त ड्राफ्ट रिपोर्ट सभी बोर्ड सदस्यों को प्रेषित की जाय। बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि फार्मा यूनिट्स के सहमति सम्बन्धित जितने भी मामले मुख्य पर्यावरण अधिकारी स्तर की समिति पर लंबित हैं को उस स्तर पर गठित समिति की स्पष्ट आख्या उपरान्त मुख्य पर्यावरण अधिकारी द्वारा पत्रावली पर (केस टू केस बेसिज) सदस्य सचिव/अध्यक्ष को अग्रेत्तर निर्णय हेतु प्रेषित की जाय। अभी तक उक्त प्रकरणों को प्रक्रिया में न लाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित की जिम्मेदारी भी तय की जाय।
8.6	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय**	
8.6.1	Financial Sanction to UEPPCB from Central Pollution Control Board	बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट्स के सापेक्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति का अवलोकन किया गया।

(विजय कुमार)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(सुब्रत विश्वास) 13/11/17
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड